कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड पी०एम०जी०एस०वाई०
लो०नि०वि०,पोखरी (चमोली)

E mail- eepmgsypokhari@rediffmail.com

पत्रांक 929 / 1सी० वन भूमि दिनांक 29 /07/ 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली–कनसारीं मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08बी० / यू०सी०पी० / 06 / 116 / 2015 / एफ०सी० / 2554 दिनांक 04.03.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उक्त मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं०1:– मान्य है।
बिन्दु सं0 2– शर्त संख्या 2 के अनुसार विभाग द्वारा बढ़ी हुई एन0पी0बी0 की राशि जमा कर दी जायेगी जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक 1)
बिन्दु सं0 3 – बिन्दु सं० 3 से 11 तक की शर्तें मान्य है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,पी०एम०जी०एस०वाई०,
लो.नि.वि.,पोखरी(चमोली)

194/1 सी/वन भूमि

— आदेश —

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल ताली कन्सारी मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.450 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.90 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल ताली कन्सारी मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.450 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम पाव प0वृ0 पोखरी, तहसील पोखरी की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0ख0–20 के खसरा नं0–626 मध्ये 4.900 हैO, सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(विनोद कुमार सुमन),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3820/छब्बीस–36 (2015–2016) गोपेश्वरः दिनांकः 2 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार पोखरी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
7. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0, पोखरी।

02.04.16

जिलाधिकारी,
चमोली।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल/Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/116/2015/एफ0सी0/ 2554 | दिनांक: /03/2016

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद–चमोली में मोहनखाल से ताली कनसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.45 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10123/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–356/x-4-15/1 (186)/2015 दिनांक 23.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10123/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद–चमोली में मोहनखाल से ताली कनसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.45 है0 वन भूमि के ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.9 है0 पाव सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। चूंकि परियोजना से प्रभावित वृक्षो की संख्या 53 वृक्ष प्रति है0 आती है तथा घनत्व 0.6 लिखा गया है, इसके अतिरिक्त NPV की गणना Very Dense Forest Category under Eco-Class –V की दर के अनुसार की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। अतः राज्य सरकार Density एवं NPV की दर को Review करने के पश्चात् ही संशोधित NPV की गणना के अनुसार NPV जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा गणना की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करनी आवश्यक होगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों का उल्लघंन न हो।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य [illegible] तथा [illegible] क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण [illegible] प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक 11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।

सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 130 से अधिक न हो।
9. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
10. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
11. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
आदेश पत्रावली।

[illegible]
(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

574	0.03	
585	0.015	
610म	1.073	
626	0.417 →	
627	0.333	
631म	0.914	
641म	0.161	
646	0.083	
659	3.095	3.079
669	0.510	
700	0.050	
705	3.085	
746	0.404	
769	0.195	
799	0.043	
800म	3.695	3.691
810	0.045	
825	0.049	
826	0.005	
829	0.073	
862	0.105	
876	0.150	
890	0.060	

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय चमोली के आदेश संख्या 3820/26-36,
(2015-2016) दिनांक 2 अप्रैल 2016 के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना अन्तर्गत मोहनखाल - लामबगड़ मोटर मार्ग निर्माण
में प्रस्तावित [illegible] 2.450 है. की भूमि के स्थान पर [illegible]
[illegible] हेतु [illegible] हेतु [illegible]
[illegible] खसरा नं 626 में 4.900 है. [illegible]
[illegible] वन विभाग, [illegible] के नाम [illegible]
हस्तान्तरण [illegible] आदेश के [illegible] हेतु
[illegible] किया।

[signature]
19/4/2016

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 09-08-2016

Agency Name.	PMGSY DIVISION PWD POKHARI
Application No.	ROAD101232015505
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division, PWD Pokhari, chamoli (UttarChamoli
Amount(in Rs)	2738130/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Thirty-Eight Thousand One Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD101232015505
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 09-08-2016

Agency Name.	PMGSY DIVISION PWD POKHARI
Application No.	ROAD101232015505
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division, PWD Pokhari, chamoli (Uttar Chamoli
Amount(in Rs)	2738130/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Thirty-Eight Thousand One Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD101232015505
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Online Submission & Monitoring of Environmental, Forest and Wildlife Clearances -A Single Window Clearance System

24 Jan 2017 10:52:51 Logout

User Name: [Sandeep]
State: [Uttarakhand]
Role : [Applicant]

My Account ▽ My Proposals Environment Clearance ▽ My Proposals Forest Clearance ▽ My Proposals Wildlife Clearance ▽ Help ▽

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10123/2015 Construction of Mohankhal - Talikansari Motor Road	ROAD101232015505	04 Mar 2016	CA: 1128480/- Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1609650/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2738130/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 06 Aug 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 09 Aug 2016 Transaction Date : 03 Oct 2016	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/10134/2015 Construction of Jaurasi - Tonji Motor Road	ROAD101342015621	29 Jul 2015	CA: 1212600/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3312400/-, plantation on empty land : 1920000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6445000/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Apr 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 07 May 2016 Transaction Date : 06 Jun 2016	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/10664/2015 CHAMOLI-BAULA MOTOR ROAD	ROAD106642015564	01 Jul 2015	CA: 714714/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 3392675/-, plantation on both sides of road : 714000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4821389/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 19 Mar 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Mar 2016 Transaction Date : 17 Aug 2015	Demand Letter Generated Challan
4	FP/UK/ROAD/12144/2015 SALLA-RAITOLI MOTOR ROAD	ROAD121442015818	01 Jul 2015	CA: 795652/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 21 Mar 2016	Demand Letter Generated Challan

				NPV: 2515565/- , plantation on both sides of road : 795000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4106217/-		**Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 31 Mar 2016 **Transaction Date** : 17 Aug 2015	
5	FP/UK/ROAD/10208/2015 LYARI URGAM MOTOR ROAD	ROAD102082015618	22 May 2015	CA: 390390/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1224405/- , plantation on both sides of road : 1396091/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3010886/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 19 Aug 2015 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 20 Aug 2015 **Transaction Date** : 23 Jun 2015	Demand Letter Generated Challan

Disclaimer

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact Environment,Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID),NIC,New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

परियोजना का नामः–जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गोहनखाल–ताली–कनसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी – I
2. हरियाली का घनत्व – ~~0.2~~ 0.6
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0 – Rs. ~~845000.00~~ 939000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – ~~28 हे0~~ 2.45 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि – Rs. ~~2366000.00~~ 2300550.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नामः–जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली–कनसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :–

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
प्रयोक्ता एजेन्सी
पोखरी (चमोली)

J.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी (चमोली)

परियोजना का नामः–जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली–कनासारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी
पोखरी (चमोली)

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी

J.E.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पोखरी चमोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
A.C.F
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत मोहनखाल से ताली कनसारी मोटर मार्ग तक 7.56 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.45 है0 सिविल एवं आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के ऐबज में दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

1. परियोजना का नाम– मोहनखाल से ताली कनसारी मोटर मार्ग तक 7.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण कार्य
2. वृक्षारापण स्थल का नाम– ग्राम लोस्तम पांथरी सिविल वन
3. वक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल– पाव सिविल वन — 4.90 है0
4. रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या — 9800 पौध
5. रोपित किये जाने वाले प्रजाति –प्राकृतिकवास के अनुसार

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर–नागनाथ वन क्षेत्र

क्र0सं0	कार्य विवरण	इकाई		दर		धनराशि
1	सर्वेक्षर व सीमाकन कार्य					
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाडी काटना व सफाई करना	4.90	है0	50.00		245.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ0मी0 में)	5.00	है0	1630.00		8150.00
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	756.00	घ0मी0	121.00		91476.00
5	गड्ढे खुदान कार्य पर व्यय (0.30X0.30X0.45)	18	सं0	15000.00		270000.00
6	निरीक्षण कुटिया निर्माण कार्य पर व्यय	9800	सं0	3.47		34006.00
7	अन्य व्यय जैसे संयत्र क्रय करना औजार तेज करना	1000	व0मी0	8.00		8000.00
8	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	1	बार	400.00		400.00
9	हाकिंस को 6 ली0 के प्रेशर कुकर वितरित करना	9800	सं0	2.75		26950.00
		18	सं0	1400.00		25200.00
	योग प्रथम वर्ष					**464427.00**
	द्वितीय चरण					
1	गड्ढे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)					
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाडी कटान व सफाई करना	9800	सं0	0.62		6076.00
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	4.00	है0	825.00		3300.00
	पौध ढुलान का कार्य पर व्यय	9800	सं0	0.75		7350.00
	पौध रोपण तथा थावला वन्दी कार्य पर व्यय	9800	सं0	4.02		39396.00
	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	9800	सं0	1.21		11858.00
	दो बार निराई गुडाई व मल्चिंग पर व्यय	9800	सं0	0.62		6076.00
	पौधों पर कल्चर कार्य	9800	सं0	1.54		15092.00
	देख–रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	9800	सं0	1.50		14700.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना	4.90	है0	300.00		10290.00
	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मीटर की पट्टी को साफ करना।	4.90	है0	600.00		2940.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय	4.90	है0	212.00		1038.80
	कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	1	सं0	5000.00		5000.00
	2– प्रोहत्साहन	1	सं0	1500.00		1500.00
	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पौलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्योमेटेशन आदि कार्य	4.90	है0	L-S		8000.00
	योग द्वितीय चरण					**132616.80**
	तृतीय चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00		17640.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनसील पदार्थो को हटाना	4.90	है0	600.00		2940.00
	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	4.90	है0	212.00		1038.80
	शीतकाल में पौधों की गुडाई एवं मल्चिंग करना	9800		0.71		6958.00
	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना 1– प्रशिक्षण	1	सं0	5000.00		5000.00
	2– प्रोहत्साहन	1	सं0	1500.00		1500.00
	योग तृतीय चरण					**35076.80**
	चतुर्थ चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00	प्रति है0	17640.00
	योग चतुर्थ चरण					**17640.00**
	पंचम चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00	प्रति है0	17640.00
	योग पंचम चरण					**17640.00**
	षष्टम चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00	प्रति है0	17640.00
	योग षष्टम चरण					**17640.00**
	सप्तम चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00	प्रति है0	17640.00
	योग सप्तम चरण					**17640.00**
	अष्टम चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00	प्रति है0	17640.00
	योग अष्टम चरण					**17640.00**
	नवम चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00	प्रति है0	17640.00
	योग नवम चरण					**17640.00**
	दशम चरण					
	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	4.90	है0	300.00	प्रति है0	17640.00
	योग दशम चरण					**17640.00**
	कुल योग					**755600.60**

कार्य का नाम :- प्र० म० ग्रा० स० यो० के अन्तर्गत मोहनखाल-तालीकन्सारी मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि :-

क्र०स०	ख० खा० नं०	खातेदार का नाम	पूर्व फ० वर्ष	खसरा नं०	रकबा
	श्रेणी	9 (3) ड़ अन्यकृदरन कार्यों अयोग्य भूमि :- ग्राम पाव			
1 —	20	उ० प्र० सरकार बंजर		626	6.418
			योग —	1.	6.418

तहसीलदार
तहसील पोखरी
जिला चमोली

उप जिलाधिकारी
पोखरी

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

2.10 29

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में प्र0म0स0यो0 के अन्तर्गत मोहनखाल—तालीकंसारी

मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :—

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत मोहनखाल — तालीकंसारी मोटर मार्ग कि0मी0 7.56 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिंविल भूमि 4.9 है० उपयुक्त है। —चयनित स्थल ग्राम पाव सिविलभूमि

A.E. A.E.

उप वन संरक्षक
ह0/ केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

उप जिलाधिकारी
गोपेश्वर

2.9

28

ग्राम - पाव

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में प्र० मं० ग्रा० स० योजना के अन्तर्गत मोहनखाल - ताली कन्सारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु दुगेन क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थापित स्थल ग्राम पाव सिविल क्षेत्रफल - 6.418

वर्तमान भूमिधर - उत्तराखण्ड सरकार

तहसीलदार
तहसील ...
जिला चमोली

ACF

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

...अधिकारी
चमोली

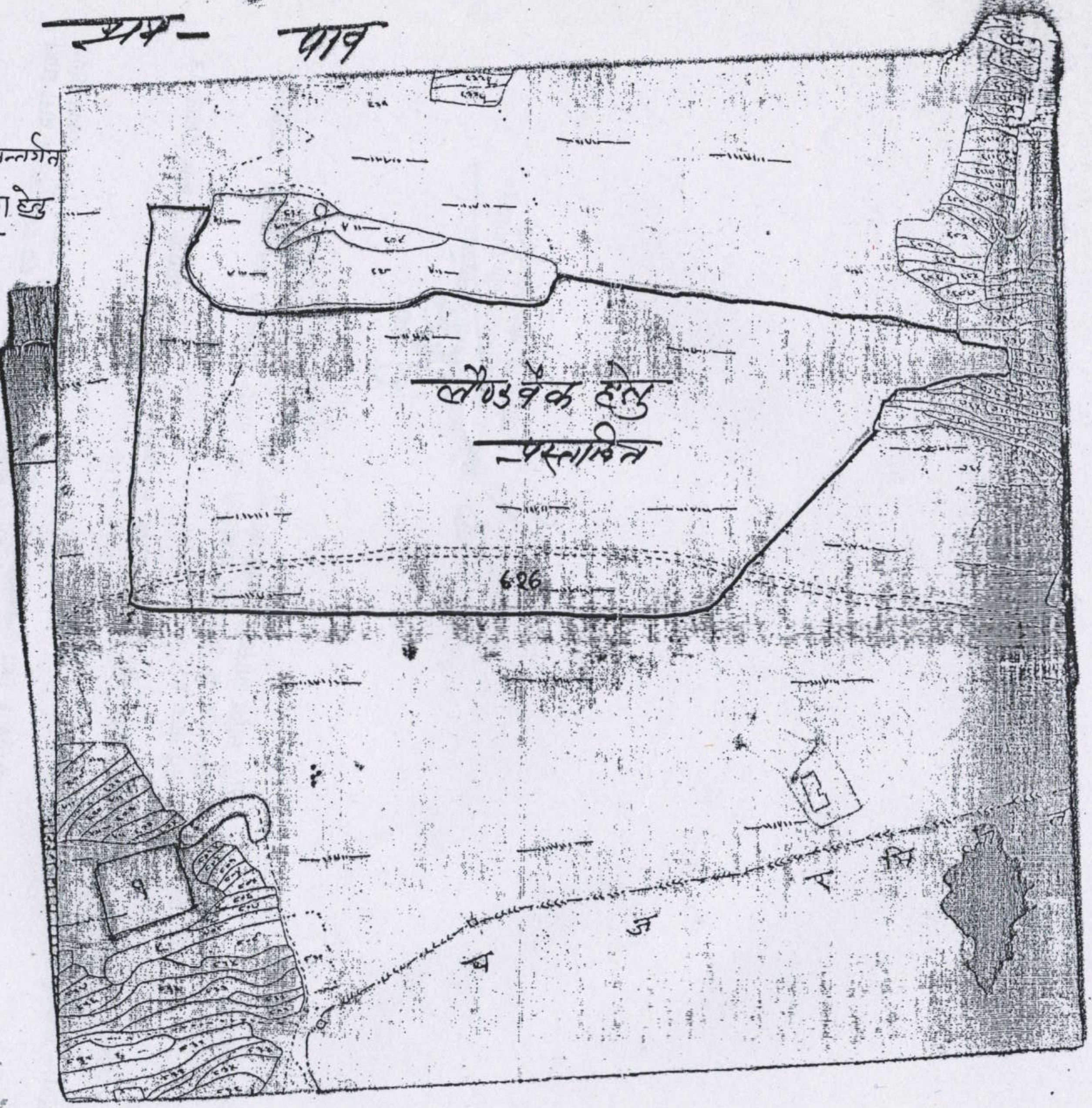

2.34

78

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में प्र0म0स0यो0 के अन्तर्गत मोहनखाल—तालीकंसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :—

परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा जलौनी लकड़ी/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के दौरान जो श्रमिक कार्यरत रहेंगे, याचक विभाग द्वारा उन्हें केरोसिन आयल/गैस अपने मद से उपलब्ध करायेगा। वन विभाग के पेड़ो को कोई क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी

वन क्षेत्राधिकारी

2.31 69

ifj;kstuk dk uke%& **जनपद चमोली में प्र0म0स0यो0 के अन्तर्गत मोहनखाल–तालीकंसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :–**

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान याचक विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

अमीन नि०ख० लो0नि0वि0 पोखरी	कनिष्ठ अभियन्ता नि०ख० लो0नि0वि0 पोखरी	सहायक अभियन्ता नि०ख० लो0नि0वि0 पोखरी	अधिशासी अभियन्ता नि०ख० लो0नि0वि0 पोखरी

1.6

6

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No. Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.45 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PWD Pokhari (PMGSY), Uttarakhand** for Construction of Mohankhal-Talikansari Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Bhramanthalla, talikansari villages in Pokhari Tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.45 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

तहसीलदार
तहसील पोखरी
जिला चमोली

3/1/2015

उप जिलाधिकारी
पोखरी

प्रारुप–30.2

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली–कनसारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी पोखरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली–कनसारी मोटर मार्ग के अन्तर्गत (0.7 हे0 सिविल वन भूमि 1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, अर्थात कुल 2.45 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी)की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री/श्रीमती उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क0सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री /श्रीमती [illegible]	उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष	[signature]
2	श्री /~~श्रीमती~~ के० एस० राणा	वन क्षेत्राधिकारी–सदस्य	[signature]
3	श्री /~~श्रीमती~~ J.S. Rana	सहायक समाज कल्याण अधिकारी/ए.बी. डी.ओ. –सदस्य	[signature]
4	श्री /~~श्रीमती~~ प्रदीप लखेड़ा	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	[signature]
5	~~श्री~~ /श्रीमती प्रभादेवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	प्रभा देवी
6	~~श्री~~ /श्रीमती सरोजनी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य –सदस्य	सरोजनी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोहनखाल–ताली–कनसारी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.45 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली–कनसारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.45 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(X) उपरोक्त से सहमत।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील पोखरी
जनपद चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
पोखरी

1.6 6B

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली कनसारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम –ब्राहमण थाला,ताली
तहसील,'पोखरी जिला–चमोली
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत मोहनखाल–ताली कनसारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.7हे० सिविल वन भूमि 1.75 हे० आरक्षित वन भूमि कुल वन भूमि 2.45 हे० का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा पर्त्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ब्राहमण थाला/ताली द्वारा सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ब्राहमण थाला/ताली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव
ग्रा.वि.वि.अधि.

ह0/– ग्राम प्रधान

नोट :– ' यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।